

भावाअशिप-उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

ICFRE-TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

Indian Council of Forestry Research & Education

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद

An autonomous Council under the Ministry of Environment, Forest & Climate Change

डाकघर- आर०एफ०आर०सी०, मण्डला रोड, जबलपुर - 482 021

P.O. R.F.R.C., Mandla Road, Jabalpur - 482 021



No. 1-13-2/23/Estt-Office order /TFRI/JBP/ 143

दिनांक 26-04-2024


कार्यालय आदेश

पूर्व में जारी एम०टी०एस० की पदस्थापना संबंधी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित एम०टी०एस० की पदस्थापना उनके नामों के समक्ष उल्लेखित प्रभाग/अनुभाग में तत्काल प्रभाव से की जाती है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	श्री रज्जन सिंह वरकड़े	वन पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग	सुरक्षा अनुभाग
2	श्री जितेन्द्र कुमार अवरथी	सुरक्षा अनुभाग	वन पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
3	श्री बंशी लाल मीना	सुरक्षा अनुभाग	वन पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
4	श्री रवि प्रभात कुजूर	आनुवांशिकी एवं वृक्ष सुधार प्रभाग	सुरक्षा अनुभाग
5	श्री अपूर्वा सरदार	सुरक्षा अनुभाग	आनुवांशिकी एवं वृक्ष सुधार प्रभाग
6	श्री संतोष कुमार साह	समूह समन्वयक (अनु०) कार्यालय	सुरक्षा अनुभाग
7	श्री रजनीश कुमार मीना	सुरक्षा अनुभाग	समूह समन्वयक (अनु०) कार्यालय
8	गौरव द्विवेदी	स्थापना अनुभाग, लेखा अनुभाग एवं फोटोकॉपी संबंधी कार्य	सुरक्षा अनुभाग
9	श्री आनन्द अधिकारी	सुरक्षा अनुभाग	स्थापना अनुभाग, लेखा अनुभाग एवं फोटोकॉपी संबंधी कार्य
10	श्री रविकांत त्रिपाठी	निदेशक कार्यालय एवं वन सुरक्षा प्रभाग का अतिरिक्त कार्य	सुरक्षा अनुभाग
11	श्री बृज किशोर चकवर्ती	सुरक्षा अनुभाग	निदेशक कार्यालय

उपरोक्त कम एम०टी०एस० की वरीयता से नहीं है।

उपरोक्त कर्मचारी नवीन पदस्थापना में कार्यग्रहण संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कार्यवाही करेंगे। यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।


उप वन संरक्षक (प्रशासन)
भावाअशिप-उवअसं

प्रतिलिपि:- (1) उपरोक्त कर्मचारियों को उनके प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) संबंधित प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।

(3) प्रभारी, आई०टी० सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।